कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग
(भ/स) कोरिया संभाग, मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया (छ०ग०)

E-Mail: ee.mgarh@nic.in PH. : 07771-243047

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग – 1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण :–

i अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण ।

लोक निर्माण विभाग (भ/स) कोरिया संभाग मनेन्द्रगढ़ अन्तर्गत ग्राम अमरपुर से चिरमिरी मार्ग, का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त मार्ग 1980 के पूर्व निर्मित मार्ग है जिसकी चौड़ाई 3.00 मीटर है तथा इस मार्ग पर यातायात के अत्यधिक दबाव के कारण मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ग्राम अमरपुर से चिरमिरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु रूपये 2178.70 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति छ0ग0 शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रं. 17–66/2013/19 तक–2 रायपुर, दिनांक 17.09.2013 द्वारा प्रदान की गई है, उक्त मार्ग की कुल लं. (पुल व पुलियों सहित) 12.40 कि.मी. एवं चौड़ाई 12.00 मीटर है मार्ग के चौड़ीरकण एवं उन्नयन कार्य में कुल 10.469 हे. राजस्व एवं आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

राजस्व एवं संरक्षित वन भूमि का विवरण

पेच क्रमांक	तहसील/परिक्षेत्र	ग्राम/वन परिसर का नाम	खसरा/कक्ष क्रमांक	आवेदित भूमि (हे. में)
1	बैकुण्ठपुर		P-466	2.101
			P-467	0.930
2		टेंगनी	199	0.038
3			198	0.017
			196	0.010
			194	0.005
4			194	0.008
5			207	0.009
6			55	0.024
7				0.006
8			RF-511	3.414
			RF-513	3.907
	योग :–			**10.469**

ii 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। अमरपुर से चिरमिरी मार्ग को सर्वे आंफ इंडिया के टोपोशिट क्रं. 64 I–8 के अन्तर्गत अंकित किया गया है, प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

iii परियोजना की लागत।

2178.70 लाख रूपये अनुमानित है।

iv वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

अमरपुर से चिरमिरी मार्ग 1980 के पूर्व निर्मित मार्ग है वर्तमान में मार्ग की चौड़ाई 3.00 मीटर है मार्ग में यातायात का अत्यधिक दबाव के कारण मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

v लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)

आवश्यकता नहीं

vi रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

अमरपुर से चिरमिरी मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य समय में लगभग 10 कुशल एवं 20 अकुशल मानव दिवस प्रतिदिन रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण

अमरपुर से चिरमिरी मार्ग 1980 के पुर्व निर्मित मार्ग है वर्तमान में मार्ग की चौड़ाई 3.00 मीटर है मार्ग में यातायात का अत्यधिक दबाव के कारण मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीरकण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में 10.469 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है प्रभावित वन भूमि का उपयोग केवल उक्त मार्ग के चौड़ीकरण व उन्नयन काग्र में ही किया जाएगा।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।

अमरपुर से चिरमिरी मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य प्रभावित वन भूमि पर किसी प्रकार के ग्रामीणों का विस्थापन नहीं किया जाना है।

i परिवारों की संख्या

निरंक

ii अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

निरंक

iii पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)।

आवश्यकता नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है (हां/नहीं)

अमरपुर से चिरमिरी मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य जिसकी कुल लम्बाई 12.40 कि.मी. और चौड़ाई 12.00 मीटर है उक्त प्रस्ताव में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अन्तर्गत मंजुरी की आवश्यकता नहीं है।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)।

प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वचन पत्र संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजो का व्यौरा।

1. अधिकृत हस्ताक्षर हेतु प्रमाण पत्र।
2. सर्वे आफ इंडिया टोपोशिट पर प्रस्तावित मार्ग अंकित की मूल प्रति।
3. न्यूनतम वन भूमि आवश्यकता प्रमाण पत्र।
4. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वचन पत्र।
5. विस्थापन नहीं होन संबंधी प्रमाण पत्र।
6. वन मण्डल काय्रलय में जमा पंजीयन एवं प्रोसेंसिंग शुल्क।

दिनांक :– 04.10.17
स्थान :– मनेन्द्रगढ़

(आर.के. मेश्राम)
कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि.(भ/स) कोरिया संभाग, मनेन्द्रगढ़